पुरस्कार प्रदान किये जाने हेतु दिशा–निर्देश/नियम

- आवेदन विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर ही किया जायेगा।
- नकद पुरस्कार कलैण्डर वर्ष 2023 (दिनांक 01 जनवरी, 2023 से 30 जून, 2023 तक) एवं गत कलैण्डर वर्ष 2022 (दिनांक 01 जनवरी, 2022 से 31 दिसम्बर, 2022 तक) राज्य सरकार की नवीन शासनादेश संख्या 333 दिनांक 06 सितम्बर, 2022 के अनुसार प्रदान किये जायेगें।
- आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक खेल प्रमाण पत्रों की स्व–सत्यापित प्रतियां संलग्न की जायेगी तथा संबंधित राज्य खेल संघों द्वारा अग्रसारित आवेदन पत्रों पर ही विचार किया जायेगा।
- पुरस्कार शासनादेशानुसार ओलम्पिक खेल, विश्व कप/विश्व चैम्पियनशिप, एशियन खेल/चैम्पियनशिप, राष्ट्रमण्डल खेल/ चैम्पियनशिप, सैफ खेल, राष्ट्रीय खेल/चैम्पियनशिप, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी/ स्कूल गेम्स, वर्ल्ड पुलिस गेम्स, अन्तर्राष्ट्रीय वैटरन चैम्पियनशिप, राष्ट्रीय स्कूल खेल, खेलों इण्डिया, राष्ट्रीय महिला खेल महोत्सव, अखिल भारतीय ग्रामीण खेल प्रतियोगितायें, ऑल इण्डिया विश्व विद्यालय टूर्नामेन्ट/चैम्पियनशिप, खेलों इण्डिया विश्व विद्यालय प्रतियोगिता, राष्ट्रीय सिविल सर्विसेज प्रतियोगितायें, अखिल भारतीय पुलिस खेल प्रतियोगिताओं के साथ ही राष्ट्रीय वेटरन चैम्पियनशिप के पदक विजेता/प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों को ही देय होगा।
- पुरस्कार खेल नीति–2021 के कोर विधाओं में उल्लेखित खेलों हेतु ही दिया जायेगा। कौर खेलों से तात्पर्य जो खेल भारत सरकार तथा भारतीय ओलम्पिक संघ द्वारा मान्यता प्राप्त हो। यदि इनके द्वारा मान्यता रद्द की जाती है, तो उन्हें पुरस्कार नहीं दिया जायेगा।
- पुरस्कार राशि सामान्य प्रतियोगिताओं के साथ ही पैरा/डैफ/ब्लांइड प्रतियोगिता हेतु भी एक समान देय होगी।
- खिलाड़ी द्वारा आधिकारिक राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में राष्ट्रीय टीम में चयन होने से पूर्व उत्तराखण्ड राज्य की टीम के खिलाड़ी के रूप में प्रतिनिधित्व किया हो। इस संबंध का भी प्रमाण–पत्र/साक्ष्य संलग्न किया जाना अनिवार्य है।
- खिलाड़ी द्वारा प्राप्त प्रत्येक पदक के आधार पर अलग–अलग पदक के लिए पुरस्कार प्रदान किया जायेगा।
- प्रशिक्षक से आशय ऐसे व्यक्तियों से हैं, जो मान्यता प्राप्त खेल संस्थानों से 01 वर्षीय डिप्लोमा या समकक्ष अथवा 06 सप्ताह का सर्टिफिकेट कोर्स अथवा सम्बन्धित खेल के राष्ट्रीय संघ से प्रशिक्षक के प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र धारक हो। खिलाड़ी द्वारा अपने आवेदन पत्र में इस संबंध का भी प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य है।
- योजनान्तर्गत मात्र वही प्रशिक्षक पुरस्कार के पात्र होगें, जिनके द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के खिलाड़ियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया हो।
- खिलाड़ियों को देय/संस्तुत धनराशि का 50 प्रतिशत पुरस्कार धनराशि उनके प्रशिक्षक हेतु पृथक से प्रदान किया जायेगा।
- खिलाड़ी के ऐसे प्रशिक्षक को पुरस्कृत किया जायेगा, जिसके द्वारा खिलाड़ी को नियमित रूप से मेडल प्राप्ति से एक वर्ष पूर्व से कम से कम 180 दिन अथवा अधिक अवधि तक प्रशिक्षण

दे चुके हों तथा इस संबंध में खिलाड़ी द्वारा रू0 10/– के स्टाम्प पेपर पर एफिडेविट प्रस्तुत करने पर ही मान्य होगा।

- नेशनल स्कूल गेम्स के पदक विजेता खिलाड़ियों को विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा, विश्व/अखिल भारतीय विश्वविद्यालय प्रतियोगिता/चैम्पियनशिप के पदक विजेता खिलाड़ियों को उच्च शिक्षा विभाग/ विश्वविद्यालय द्वारा, खेलों इण्डिया, भारतीय ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता/राष्ट्रीय महिला खेल महोत्सव के पदक विजेता खिलाड़ियों को युवा कल्याण विभाग द्वारा तथा अखिल भारतीय पुलिस खेल प्रतियोगिताएं/विश्व पुलिस/फायर गेम्स में पदक विजेता खिलाड़ियों को उत्तराखण्ड पुलिस विभाग से खेल प्रमाण–पत्रों को सत्यापित कराना अनिवार्य होगा।
- अधिक जानकारी के लिए संबंधित शासनादेश का अवलोकन किया जा सकता है।

निदेशक खेल